

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक: एफ.10()उप चुनाव/जन/स्वा.शा./24/451

दिनांक 26/12/2024
27

अधिसूचना

चूंकि राज्य के 8 जिलों की 03 नगर परिषद तथा 05 नगरपालिकाओं के निम्नांकित सदस्यो के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन किया जाना है:

| क्र.सं. | जिले का नाम | क्र.सं. | नगर निगम/ परिषद/ पालिका का नाम | रिक्त वार्ड संख्या |
|---------|----------------|---------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | बांसवाडा | 1 | नगर पालिका कुशलगढ | 17 |
| 2 | चित्तौडगढ | 2 | नगर पालिका कपासन | 17 |
| 3 | दौसा | 3 | नगर परिषद दौसा | 17 |
| 4 | जयपुर | 4 | नगर पालिका फुलेरा | 18 |
| 5 | झालावाड | 5 | नगर परिषद झालावाड | 13 |
| 6 | जोधपुर ग्रामीण | 6 | नगर पालिका पीपाड शहर | 30 |
| 7 | सवाई माधोपुर | 7 | नगर परिषद सवाई माधोपुर | 55 |
| 8 | सीकर | 8 | नगर पालिका रींगस | 12 |

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं. 18) की धारा 11 की उपधारा (3) के उपबन्धो के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर ऊपर वर्णित नगर निकायों के वार्डों के सदस्य पद के रिक्त स्थानों को भरने के लिए राज्य सरकार एतद् द्वारा मतदान की तिथि 09.01.2025 (गुरुवार), नियत करती है, और ऊपर वर्णित नगरीय निकायों के रिक्त वार्डों के मतदाताओं से यह अपेक्षा करती है कि वह सदस्य पद के रिक्त स्थानों को भरने के लिए उक्त अधिनियम एवं तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशो के उपबन्धो के अनुसार अपने वार्ड के लिये एक सदस्य निर्वाचित कर दे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Signature valid

(कुमार पाल गौतम)

निदेशित एवं विशिष्ट साक्षि
Digitally signed by Kumar Pal
Gautam

Designation : Director

Date: 2024.12.27 18:48:59 IST

Reason: Approved

